रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15032023-244411
CG-MH-E-15032023-244411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 मार्च, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2023/127.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एएमसी रेपो क्लीयरिंग लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 12 के तहत मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार तथा प्रतिभूति बाजार(सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को मान्यता का नवीकरण 17 जनवरी, 2023 को प्रारंभ होने वाली और 16 जनवरी, 2024 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करता है कि समाशोधन निगम समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित की गई शर्तों का या भारतीय प्रतिभूति औ रविनिमय बोर्ड(सेबी) द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पालन करेगा:

परंतु यह कि समाशोधन निगमउन ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) में रेपो और रिवर्स रेपो से संबंधित लेनदेनों (ट्रांजेक्शन) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलेमेंट) करने के सिवाय कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा, जिनका लेनदेन (डीलिंग) या जिनमें सौदेबाजी (ट्रेडिंग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है।

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./696/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th March, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/127.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition of AMC Repo Clearing Limitedunder Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, securities market and the public, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, hereby grantsrenewal of recognition to the said clearing corporation for one year commencing on the 17th day of January, 2023 and ending on the 16thday of January, 2024 subject to the condition that the Clearing Corporation shall comply with the conditions as may be prescribed by rules or specified by the Securities and Exchange Board of India fromtime to time:

Provided that the Clearing Corporation shall not undertake any activity except that of clearing and settling of transactions in repo and reverse repo in the debt securities that are dealt with or traded on a recognised stock exchange.

MADHABI PURI BUCH, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./696/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.15 21:46:33 +05'30'